

Value Deed Memo 100000


A(1) 81000
L.L.R. 3.00
D.Fee 1.00
81004.00

प्रतिबंधित भूमि से 400-
रुपा 826 मुक्त है।

Online Fee Paid
IDGRT No. 2211217127



दस्तावेज लिपिक
लो. NO-99/2003
मेहरानगढ़ प्लाट
(विक्रय पत्र)



1. लेख्यकारी का नाम वो पूरा पता :-

श्री आनन्द मुरारी तिवारी, पिता स्थ० पडित रामदास तिवारी
मुतवाका जाति-सामान्य (सी0एन0टी0 एक्ट सन् 1908 ई0 के
अन्तर्गत आच्छादित नहीं है), निवास स्थान ग्राम-रेडमा,
पोस्ट विधाकी, थाना मेहरानगढ़ जिला पलामू पेशा सेवा
नियुक्त राष्ट्रीयता भारतीय। PAN-AAKPT4931B

शपथ पत्र संख्या 17.8.8

दिनांक 11-05-2022

2. लेख्यधारी का नाम वो पूरा पता:-

- श्री वेद प्रकाश शुक्ला पिता श्रीनाथ शुक्ला, कायम
- श्रीमति प्रिया शुक्ला पति का नाम श्री वेद प्रकाश शुक्ला,
कायम जाति-सामान्य (सी0एन0टी0 एक्ट सन् 1908 ई0
के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है), निवास स्थान ग्राम पाल्हे
खूद, पोस्ट नोडिहा, थाना पाटन, जिला-पलामू पेशा-
1 नौकरी एवं 2 गृहिणी, राष्ट्रीयता भारतीय।

1. PAN-EYGPS9624L, 2. PAN-JJOPS8132K

शपथ पत्र संख्या 17.8.8 17.9.0 दिनांक 11-05-2022

-2-

3. लेख्य प्रकार :- केवाला बयला कलामी।

विक्रय पत्र Sale Deed

4. विक्री मूल्य मो०— 27,00,000 (सताईस लाख रुपये)।

बाजार मूल्य मो०— 27,00,000 (सताईस लाख रुपये)।

सरकारी निर्धारित आवासीय दर— 4,29,011/- प्रति डीसमील।

5. सम्पत्ति :- मवाजी 4.31 डी० (चार दशमलव तीन एक)

डीसमील जमीन टाड आवासीय गृह निर्माण योग्य एवं गृह निर्माण के लिए अंदर वाके मौजा रेडमा, थाना मेदिनीनगर, अंदर नगर निगम मेदिनीनगर वार्ड नं० 18 जिला पलामू में विक्रेता हकियत कास्त रेयती जमीन का पार्ट प्लौट पार्ट होल्डिंग खास अपने हिस्से में प्राप्त जमीन बिक्री करते हैं। जो उपरोक्त वर्णित भूमि सरकारी भूमि, वन भूमि, मन्दिर, मस्जिद मठ—मठिया, गुरुद्वारा, गिरजाघर, नदी तालाब की भूमि भू—दान में प्राप्त अथवा किसी अन्य प्रकार से प्रतिबंधित भूमि में से नहीं है और ना ही किसी भी न्यायालय से निषेधाज्ञा ही लगायी गयी है। इसके बिक्री होने से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है।

रजिस्ट्री औफिस वो जिला सब रजिस्ट्री औफिस मोकाम मेदिनीनगर पलामू।

नोट :- विदित हो कि विक्रेता के द्वारा उत्तर तरफ 12 फीट चौड़ा रास्ता पहले से ही दिया गया है उक्त रास्ता के अलावे खरीदार खरीदगी जमीन में से 2 फीट जमीन छोड़कर ही गृह निर्माण का कार्य करेंगे। यह रास्ता सिर्फ विक्रेता एवं खरीदार के उपयोग के लिए हमेशा—हमेशा के लिए होगा तथा किसी अन्य के लिए नहीं होगा।

विक्री भूमि का भूमि धारण प्रमाण पत्र कार्यालय अंचल अधिकारी मेदिनीनगर, जिला पलामू से निर्गत है जिसका पत्रांक सं० 574, दिनांक 24.09.2020 ई० है।

जमीन का माप इस प्रकार है :-

उत्तर से दक्षिण पूरब तरफ 46 फीट,

उत्तर से दक्षिण पश्चिम तरफ 43 फीट

पूरब से पश्चिम उत्तर तरफ 42 फीट 6 इंच,

पूरब से पश्चिम दक्षिण तरफ 42 फीट 0 इंच है।

मौजा	थाना नं०	तौजी नं०	खेवट नं०	वार्ड नं०	नगर निगम हो.नं.
रेडमा	188	51	01	18	18A0000054000M0

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहदी
3 (तीन)	826 (आठ सौ छब्बीस)	4.31 डी० (चार दशमलव तीन एक) डीसमील	उ०—बारह फीट चौड़ा रास्ता पूर्व से द०—मुरारी तिवारी वगै० प्लॉट नं०—812 पु०—राजकमल तिवारी वगै० प०—राधवेन्द्र कुमार तिवारी

जमा ०१ जमा ०१ 4.31 (चार दशमलव तीन एक)

डीसमील जमीन विक्री करते हैं।

सलाना मालगुजारी :— ०१ (एक) रूपये अलावे शेष।

नाम मालिक :— झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी
मेदिनीनगर, जिला पलामू।

आगे उपरोक्त वर्णित सम्पति खाना सं० १० पाँच वर्सीका
हाजा की जमीन पर मेरा हक्कियत कास्त रैयती हक हासिल है।
जिसे मेरे बड़े भ्राता गणेश तिवारी जो मेरे संयुक्त परिवार के
मुख्यकर्ता थे, जिन्होने वर्णित जमीन को बिक्रेता सुखदेव तिवारी से
खरीद किये थे। जिसका खरीदगी केवाला सं० 10106, बुक नं० 01,
भौलुम नं० 22 पेज नं० 97 से 99 वर्ष 1972 ई० है। संयुक्त परिवार
होने के नाते सभी हिस्सेदारान अपने—जपने पूर्ण सहमति के आधार
पर रैयती मौरूसी एवं खरीदगी सभी जायदाद का सभी हिस्सेदारों
के बीच आपसी बटवारा कर अंचल कार्यालय मेदिनीनगर में अपने
अपने प्राप्त तख्ते के अनुसार आवेदन देकर सभी हिस्सेदारों ने
अपना—अपना नामांतरण करा लिये। जिसका मेरा दाखिल खारिज
वाद सं०—12/2010—11 से दाखिल खारिज होकर सरकारी
मालगुजारी रसीद अंचल कार्यालय मेदिनीनगर, पलामू के मांगपंजी
॥ के जमाबन्दी सं०—5799 एवं झार भूमि के साईट पर वर्तमान भाग

सं० 30 एवं पृष्ठ सं०-112 पर स्वयं मेरे नाम से कटते चला आ रहा है तथा नगर निगम मेदिनीनगर जिला पलामू का होल्डिंग टैक्स की रसीद भी मेरे नाम से हो० नं०-18A0000054000M0 पर कटते चला आ रहा है। जो उपरोक्त वर्णित जमीन अपने पारिवारिक बंटवारा से बंटकर खास अपने हिस्से में प्राप्त हुआ है। बंटवारा से लेकर आज तक उपर वर्णित विक्री की जा रही जमान पर मेरा शान्तिपूर्ण दखल कब्जा एवं स्वामित्व निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। जिसपर किसी भी प्रकार का सरकारी गैरसरकारी बैंक या संस्था से कर्जभार वारदेन नहीं लिया गया है जो कि उपर वर्णित जमीन हर तरह से पाक साफ निर्विवाद एवं निर्मल है।

इस समय मुझे रूपये का सख्त जरूरत वास्ते भरने खुदरा महाजन वो करने अपने कई अन्य जरूरी काम का है जो बिना उपरोक्त जमीन विक्री किये बगैर रूपये का प्रबंध करना खास अपने पास से संभव नहीं है।

लेहाजा मैंने उपरोक्त वर्णित जमीन विक्री करने की बातचीत आस-पास के लोगों में किया वो इस बात का प्रचार-प्रसार भी कराया, संभावित कई खरीदार आये लेकिन अंत में खाना सं० दो वसीके हाजा के खरीदारान आये वो उपरोक्त जमीन का भली-भाँती निरीक्षण कर सभी सुविधाओं को देखते हुए मो० 27,00,000 (सताईस लाख रूपये) में सौदे को पक्का कर लिये जो आज के बाजार भाव के मुताबिक उचित है इससे ज्यादा जरसमन देने को कोई दूसरा खरीदार तैयार नहीं हुए।

अतः मैंने मो० 27,00,000 (सताईस लाख रूपये) में मवाजी 4.31 (चार दशमलव तीन एक) डीसमील जमीन मौजा रेडमा, थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू अंदर नगर निगम मेदिनीनगर वार्ड नं० 18 जिला पलामू का बेचा वो आज के रोज से उपरोक्त जमीन के उपर खरिदारान को अपना संपूर्ण हक अधिकार दखल कब्जा वो स्वामित्व दे दिया।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित जमीन के उपर आज तक मेरा या मेरे किसी भी वारिसान को जो भी हक अधिकार दखल कब्जा वो स्वामित्व प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता वो सब के सब आज के रोज से ही खरीदारान को प्राप्त हो गया।

अब आज के रोज से खरीदारान को चाहिए की उपरोक्त वर्णित जमीन के उपर कायम वो काबिज दाखिल रह कर बाग—बगीचा लगावे, चाहर दिवारी दें, मकान बनावे एवं शांतिपूर्ण रूप से सपरिवार निवास करे, बिजली, पानी, बोरिंग, टेलिफोन कनेक्शन लगावें या जिस तरह से हो सके उपरोक्त जमीन से लाभ उठावें वो वजरिये अंचल मेदिनीनगर में अपने—अपने नाम से दाखिल खारीज करा कर झारखण्ड सरकार को साल वो साल माल अदा कर सरकारी मालगुजारी रसीद हासिल कर लिया करें एवं नगरनिगम मेदिनीनगर में भी अपना—अपना नाम दर्ज कराकर होलिंडग टैक्स अदा कर होलिंडग टैक्स की रसीद साल ब साल हासिल कर लिया करें।

विदित हो कि इस केवाला विक्रय पत्र के साथ नक्शा का एक प्रति संलग्न है। जो इस विक्रय पत्र का एक अंग है एवं हू—ब—हू है। जिसमें विक्री की गयी भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है।

मैं बिक्रेता केवाला का कुल जरसम्मन मो0 27,00,000
(सताईस लाख) रूपये में से मो0 2,00,000 (दो लाख) रूपये वजरिये चेक सो0 234815 दिनांक 12.03.2022 से विक्रेता अपने भारतीय स्टेट बैंक, शाखा अपर बाजार रांची के खाता सो—30832588796 में

UTR NO.-CNRBR52022031478613953 के द्वारा एवं मो0 25,00,000
(पच्चीस लाख) रूपये डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 058268 दिनांक 11.05. 2022 ई^o। इस तरह मैं कुल विक्री तय जरसम्मन मो0 27,00,000
(सताईस लाख) रूपये उपर वर्णित बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भुगतान पा चुका हूँ। अब मुझे विक्री तय जरसम्मन का एक भी पैसा खरीदार से पाना शेष नहीं रह गया है।

अतः मैंने अपना कुल नफा वो नुकसान को अच्छी तरह समझ बुझ कर बिना किसी के जोर दबाव में आये अपने तन वो मन की पूर्ण स्वस्थता में आकर अपने पूरे परिवार के सहमति से यह केवाला विक्रय पत्र खरीदार श्री वेद प्रकाश शुक्ला एवं श्रीमति प्रिया शुक्ला के नाम से लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण तथा सनद रहे।

आज दिनांक-11.05.2022

टक्क

सुनिल कुमार



सत्येन्द्र कुमार गिरि

दस्तावेज लिपिक

ला० न०-९९/२००३

मेदिनीनगर पलामू



सत्येन्द्र कुमार गिरि

दस्तावेज लिपिक

ला० न०-९९/२००३

मेदिनीनगर पलामू प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज में जिनका फोटो

लगा है, का बांए हाथ के सभी अंगुलियों का निशान मेरे सामने

लिया गया है। कातिब: सत्येन्द्र कुमार गिरि

(सत्येन्द्र कुमार गिरि) ला० न०-९९/०३ मेदिनीनगर, पलामू। केवाला

पढ़ कर दोनों पक्षों को सुना एवं समझा दिया।

Ved Prakash Shukla. 11/05/2022

9110099945



Priya Shukla 11/05/2022

6204655115

